विचार बिन्दु

यह मेरा है-यह तेरा है ऐसा संकीर्ण हृदय वाले मानते हैं। उदार चित्त वाले तो सारे संसार को एक कुटुंब समझते हैं। –हितोपदेश

क्या संविधान के अनुसार सांसद व विधायक पेंशन प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं?

विधानसभा सदस्यों तथा संसद के सांसदों को वेतन व परिलब्धियां, भत्ता व पेंशन मिलती हैं। वेतन भत्ता व पेंशन अधिनियम, 1954 है। राजस्थान राज्य के अधिकारियों व विधायकों के वेतन भत्तों व पेंशन का अधिनियम, 1956 (Act No.6 of 1957) है। यहां यह उल्लेख करना समीचीन व आवश्यक है कि इन दोनों कानूनों में प्रारम्भ में जब ये बनाये गये पेंशन देने का कोई प्रावधान नहीं था। इनमें समय-समय पर संशोधन होते रहे हैं। राजस्थान राज्य ने अधिनियम के तहत् रूल्स बनाये हैं जो राजस्थान विधानसभा सदस्य नियम, 1977 हैं।

सेलेरीज एण्ड एलउन्सेज अधिनियम, 1954 को संशोधन किया गया और उसमें मेम्बर ऑफ पार्लियामेण्ट शब्दावली को जोड़ा गया। इसे नई धारा 8ए से जोड़ा गया, जिसके द्वारा पेंशन देने की व्यवस्था की गई। इसका स्पष्ट अर्थ था सांसदों को वेतन भत्तों के अतिरिक्त पेंशन भी प्राप्त होगी। पेंशन की रेट में कई बार संशोधन कर वृद्धि की गई।

राजस्थान में केन्द्र के अधिनियम, 1954 की भांति विधानसभा के अधिकारियों व विधायकों को वेतन व परिलब्धियों के साथ पेंशन दिये जाने का प्रावधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। पेंशन का प्रावधान राजस्थान एक्ट नं. 17/2015 व संशोधन एक्ट 26/2017 से धारा 4क के रूप में जोड़ा गया। इस प्रावधान में यह व्यवस्था है कि 1 अप्रैल, 2019 से ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को जो सदस्य 5 वर्ष तक की कालावधि के लिये निरन्तर या अन्यथा पांच वर्ष तक की कालवधि के रहा हो, उसे 35,000/-रूपये पेंशन दी जावेगी और उपर्युक्त पाँच वर्ष की कालावधि (टर्म) से अधिक पूरे टर्म के लिये हो तो 1600/-रूपये की अतिरिक्त पेंशन प्रतिमाह सदत्त की जावेगी। सदस्य 70 वर्ष की उम्र प्राप्त कर लेता है तो उसे 20 प्रतिशत तथा 80 वर्ष पर 30 प्रतिशत की वृद्धि होगी। प्रावधान 4ख में कुटुम्बिक पेंशन की बात है। यदि विधानसभा 5 वर्ष से पहले विघटित कर दी गई हो तो भी अवधि कम होने पर भी पेंशन देने के हेतु अवधि को 5 वर्ष मान लिया जावेगा। यदि सांसद व विधायक कोई संवैधानिक पद धारण करता है तो पेंशन की अदायगी सस्पेंड रहेगी।

सांसद हो अथवा विधायक 5 वर्ष के कार्यकाल समाप्त होने पर एक साधारण नागरिक की भांति हो जाता है। वह पुनः चुनाव लड़ सकता है, विधायक/सांसद बन सकता है। विधायक/सांसद रिटायर नहीं होते। पेंशन को रिटायरल बेनीफिट कहा जाता है। अधिकारी व सांसद/विधायक में अन्तर है। अधिकारी कर्मचारी है; किन्तु सांसद/विधायक जनता द्वारा Elect किये जाते हैं। साधारण रूप से जिस व्यक्ति ने सरकारी नौकरी की है अथवा जिसे सरकारी संस्थानों में जिन्हें स्टेट कहा जाता है नौकरी की है और सेवा की शर्तों के अनुसार पेंशन की व्यवस्था है उन्हें पेंशन दी जाती है। विधायक व सांसद जैसा ऊपर कहा है, रिटायर नहीं होते हैं उनका केवल टर्म समाप्त होता है और वे चुनाव में जीतने पर पुनः सदस्य बन सकते हैं। नगरपालिका, पंचायत जैसे निकायों में भी चुनाव होते हैं यह चुनाव भी निश्चित अवधि में होते हैं। वहां भी सदस्य, रिटायर नहीं होते हैं वे पुनः चुनाव लड़ सकते हैं, वहां पेंशन का कोई प्रावधान किसी भी कानून में चाहे वह पंचायत एक्ट हो अथवा म्युनिसिपिलिटी एक्ट (अधिनियम) नहीं है। फिर क्यों विधायकों/सांसदों को पेंशन दी जावे? यह एक विचारणीय प्रश्न है, अतः हमें संविधान को देखना होगा, पढ़ना होगा उसका अध्ययन करना होगा कि क्या पेंशन का उपरोक्त प्रावधान जो उक्त कानूनों में संशोधन द्वारा जोड़ा गया है वह संवैधानिक है? साथ ही हमें यह भी देखना होगा कि पेंशन किसे दी जावे, इसकी क्या व्यवस्था है? सबसे अधिक महत्व की बात यह है कि हमें पेंशन शब्द की जो परिभाषा संविधान के अनुच्छेद 366(1) में दी है, उसकी सही व्याख्या क्या है?

हम सब देश के नागरिक है, यहां लोकतंत्र है। देश के लोगों ने संविधान बनाया है। देश के संचालन के लिये, नागरिकों के जीवन की सुरक्षा के लिये उनके गरिमा मय जीवन यापन के लिये, खाद्य, चिकित्सा, देश की सुरक्षा आदि के लिये फण्ड की आवश्यकता है जिसे टैक्स लगाकर ही पूरा किया जा सकता है। अतः सरकार के फण्ड का खर्च विवेकपूर्ण होना चाहिये और संविधान द्वारा मान्य भी। सरकार द्वारा दिये गये आंकडों के अनुसार सन् 2021-22 में उस वर्ष 25 करोड़ 95 लाख 47 हजार 400/-रूपये का पेंशन पर खर्च था।

सांसद हो अथवा विधायक 5 वर्ष के कार्यकाल समाप्त होने पर एक साधारण नागरिक की भांति हो जाता है। वह पुनः चुनाव लड़ सकता है, विधायक/सांसद बन सकता है। विधायक/सांसद रिटायर नहीं होते। पेंशन को रिटायरल बेनीफिट कहा जाता है। अधिकारी व सांसद/विधायक में अन्तर है। अधिकारी कर्मचारी है; किन्तु सांसद/विधायक जनता द्वारा Elect किये जाते हैं। साधारण रूप से जिस व्यक्ति ने सरकारी नौकरी की है अथवा जिसे सरकारी संस्थानों में, जिन्हें स्टेट कहा जाता है नौकरी की है और सेवा की शर्तो के अनुसार पेंशन की व्यवस्था है उन्हें पेंशन दी जाती है।

लेखक, पाठकों का ध्यान आकर्षित करना चाहता है जो सबको झकझोर देगा कि विधायक को प्रत्येक विधानसभा के टर्म की राजस्थान में पेंशन दी जाती है। यदि कोई विधायक कई बार विधायक बनता है तो उसे उतनी ही बार की बढ़ी पेंशन मिलेगी। क्या इसका कोई औचित्य हो सकता है? यह पेंशन वर्तमान में दिनांक 1.4.2023 से 31,000/-रूपये प्रति माह है। हाँ, यदि वह दूसरे टर्म के हेतु चुनाव जीतकर सांसद बनता है तो उसे बेसिक पेंशन 31,000/-रूपये व अतिरिक्त पेंशन 5 वर्ष के टर्म लिये रू. 2,500 × 5 = रू. 43,500/- मिलेगी। सांसदों व विधायकों को वेतन के अतिरिक्त कई तरह के भत्ते दिये जाते हैं और फिर भी पेंशन। इनमें बढ़ोत्तरी होती रहती है जिसकी कोई सीमा नहीं है। राजस्थान में विधयक के दूसरे टर्म की पेंशन रू. 43,000/- है और प्रत्येक टर्म में अमर्यादित रूप से बढ़ जाती है।

आईये, इस पृष्ठभूमि में हम संविधान के परिप्रेक्ष्य में पेंशन को जो सांसद व विधायक प्राप्त कर रहे हैं उसका कानूनी परीक्षण करें।

संविधान के अनुच्छेद 106 में सांसदों को वेतन व भत्ते दिये जाने का प्रावधान है, जिनका निर्धारण व प्रबन्ध समय-समय पर अधिनियम बनाकर संसद करती है। इसी प्रकार विधायकों के वेतन व भत्तों के सम्बन्ध में संविधान के अनुच्छेद 195 के प्रावधान है। अधिनियम (एक्ट) के द्वारा वेतन व भत्ता दिया जाता है। इन दोनों प्रावधानों में पेंशन दिये जाने का कोई व्यवस्था नहीं है। इसका सामान्य भाषा में अर्थ है कि संविधान सांसदों व विधायकों को पेंशन देने के बाबत अधिनियम बनाकर मनमानी कानून बनाने की अनुमति नहीं देता।

उपरोक्त कथन को बल इससे भी मिलता है जब हम संविधान की सूची 1 की एन्ट्री 73 जो सांसदों के वेतन व भत्ते के बाबत कानून बनाने की अनुमति देता है। इसी प्रकार राज्य की सूची 2 की एन्ट्री 38 है जो विधायकों के भत्ते व वेतन के हेतु कानून बनाने की अनुमति देता है। सूची 1 की एन्ट्री 73 व सूची 2 की एन्ट्री 38, क्रमशः सांसदों व विधायकों को पेंशन देने की अनुमति नहीं देती है। अर्थ स्पष्ट है उपरोक्त दोनों कानून और उसमें हुये संशोधन अवैध, असंवैधानिक, अमान्य व शून्य है।

पूर्व मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे ने राजस्थान मंत्री वेतन संशोधन अधिनियम, 2017 के द्वारा राजस्थान मंत्री अधिनियम 1956 में संशोधन के द्वारा धारा 7 बीबी व धारा 11(2) जोड़कर पूर्व मुख्यमंत्री को आजीवन सरकारी आवास व 10 व्यक्तियों का स्टाफ व ड्राईवर की सुविधा प्रदान की गई थी, साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया था कि मुख्यमंत्री ने अपने निर्धारित पांच वर्ष की अवधि पूरी नहीं भी की हो तो भी यह सुविधा उन्हें प्राप्त होगी। इस प्रावधान को राज्य के वरिष्ठ व यशस्वी पत्रकार मिलापचंद डांडिया ने एक पीआईएल रिट् याचिका में राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती दी थी जिसकी पैरवी प्रसिद्ध एडवोकेट विमल चौधरी ने की थी। यह याचिका दिनांक 4.8.2019 के आदेश से उच्च न्यायालय से स्वीकृत हुई और उक्त प्रावधान को अवैध करार दिया गया। माननीय उच्च न्यायालय ने प्रावधान को निरंकुश व औचित्यहीन करार दिया। इसके विरूद्ध सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी दायर की गई, किन्तु उसे 6.1.2020 को एडमिशन स्टेज ही पर खारिज किया गया। राजस्थान उच्च न्यायालय की डीबी का उक्त निर्णय प्रस्तुत केस पर भी लागू होता है। यहाँ भी पेन्शन का प्रावधान निरंकुश, मनमाना अमर्यादित व समानता के सिद्धान्त के मूल अधिकार के विरूद्ध है। सांसदों, विधायकों, अधिकारियों को वेतन, भत्ता आदि दिये जाने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है; किन्तु जब इनका भुगतान संविधान की मर्यादा की सीमा लांघकर निरंकुश, विवेकशून्य और विभेदकारी हो कर फ्रीबीज व लूट का रूप धारण करता है तो जनता का विरोध करना स्वाभाविक है।

सुप्रीम कोर्ट ने डी.एस. नकारा बनाम भारत संघ (1983) 1 एसएससी 305 के केस में यह विचार अभिव्यक्त किया है कि पेंशन चेरिटी नहीं है अपितु कर्मचारी द्वारा जीवन में की गई मेहनत का फल है। यह रिटायरमेंट के बाद दिया गया एक अधिकार है सांसद रिटायर नहीं होते। यह स्वीकृत सिद्धान्त है कि पेंशन सोशल सिक्यूरिटी है, जबकि सांसद अपने टर्म की समाप्ति पर (जो 5 वर्ष की अवधि का होता है) रिटायर नहीं होते अपितु संसद की सीट रिक्त होती है और वह सदस्य की निरर्हता (Disqualification) अनुच्छेद 101 में मानी जाती है। वह स्थान चुनाव द्वारा भरा जाता है। सांसद को दुबारा चुनाव में खड़ा होने का अधिकार होता है। पेंशन अधिक आयु होने पर रिटायर होने पर दी जाती है। विधायकी रिटायर नहीं होती उनकी सीट अनुच्छेद 190 के अनुसार रिक्त होती है सदस्य की निरर्हता का प्रावधान अनुच्छेद 191 के अनुसार होती है। सदस्य यदि लाभ का पद धारण करता है तो वह निरर्हित होगा। पेंशन पाना लाभ का पद है। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय जो कॉमन कॉज एक पंजीकृत सोसाइटी है उसमें सांसदों की पेंशन की वैधनिकता का प्रश्न उठाया गया था; किन्तु लेखक का अपना स्वतंत्र विचार है वह निर्णय Precedent नहीं है; क्योंकि उसमें पेंशन शब्द की मूल परिभाषा जो संविधान के अनुच्छेद 366(17) में दी है, उसका उल्लेख ही नहीं है। परिभाषा के अनुसार पेंशन का आधार सेवानिवृत्त वेतन है।

अतः लेखक का मत है कि सांसद व विधायक पेंशन के अधिकारी नहीं है। सेलेरीज एण्ड एलउन्सेज व पेंशन ऑफ पार्लियामेंट अधिनियम, 1954 तथा राजस्थान विधानसभा के अधिकारियों और सदस्यों के वेतन, भत्ता व पेंशन अधिनियम (एक्ट नं. 26/2017) असंवैधानिक, अवैध व निरंकुश, औचित्य शून्य होने से प्रभाव शून्य है तथा निरस्तनीय है। जब विधायकों को दी जाने वाली पेंशन ही असंवैधानिक है फिर अतिरिक्त टर्म की पेंशन तो न केवल विवेक व औचित्य शून्य है अपितु अनैतिक भी है।

यही प्रश्न एक जनहित याचिका (पिटीशन नं. 19134/2022) मिलापचंद डांडिया बनाम राजस्थान राज्य व अन्य के नाम से राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में विचाराधीन है।

सत्यमेव जयते!

-अतिथि सम्पादक,
पानाचन्द जैन
पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान हाई कोर्ट

शिक्षक ज्ञान के वाहक ही नहीं, बल्कि जीवन मूल्यों के निर्माता भी हैं

वासुदेव देवनानी

भारत की सनातन सभ्यता में गुरु-शिष्य परंपरा सदैव अत्यधिक प्रतिष्ठित रही है। शिक्षक, चाहे वह प्राचीनकालीन गुरु की भूमिका में हो या वर्तमानकालीन अध्यापक की भूमिका में, न केवल ज्ञान के वाहक हैं, बल्कि सामाजिक-सांस्कृतिक नैतिकता, व्यक्तिगत वराष्ट्रीय चरित्र तथा जीवन-मूल्यो के निर्माता भी हैं। हालाँकि आज हम वार्षिक रूप से 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं, किन्तु यह उत्सव केवल एक तिथि मात्र नहीं, बल्कि शिक्षक के महत्व और उनके योगदान को याद करने का एक अवसर है। प्राचीन गुरुकुल प्रणाली से वर्तमान विद्यालयी परम्परा तक शिक्षक की भूमिका मेंक्रमिक परिवर्तनों के बावजूद भी यह एक पवित्र पद माना जाता रहा है।

प्राचीन भारत में प्राथमिक शिक्षण संस्थानों से अधिक केंद्रित रूप था गुरुकुल-जहाँ शिष्य गुरु के आश्रम में निवास करते, न केवल अकादमिक विद्या सीखते, बल्कि जीवनशैली का भी अभ्यास करते थे। इसमें गुरु और शिष्य के बीच गहरा संबंध था, जो केवल पढ़ाई तक सीमित न होकर चरित्र निर्माण, आत्म नियंत्रण और नैतिक शिक्षा से जुड़ा था। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली की मूल पद्धितयों में शामिल थे- श्रवण (गुरु की वाणी को सुनना), मनन (उस पर बातचीत और चिंतन करना), निदिध्यासन (गहन ध्यान और आत्मसात करना)। वस्तुतः ज्ञान केवल याद रखने या समझने की क्षमता ही नहीं अपितु आंतरिक अनुभूति और आत्म साक्षात्कार भी था।

भारतीय संस्कृति में गुरु को ईश्वर तुल्य माना जाता रहा है। गुरु की महत्ता, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः।।, श्लोक से स्पष्ट है जहां उन्हें दिव्यता, मोक्ष और मार्गदर्शन का स्त्रोत माना जाता है। भारतीय इतिहास परम्परा में गुरु वशिष्ठ, विश्वामित्र वाल्मीकि, संदीपनी, गुरु धौम्य, वेदव्यास, कश्यप, अष्टावक्र, याज्ञवल्क्य, गुरु द्रोणाचार्य जैसे महान सुधीजन प्रसिद्ध है वही भारतीय इतिहास में कौटिल्य जैसे गुरु भी हुए है जिन्होंने अखंड भारत निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। विदित है कि शिक्षक कभी साधारण नहीं होता है, प्रलय व निर्माण उसकी गोद में पलते है।

प्राचीन विश्वविद्यालय जैसे तक्षिशला, नालंदा व विक्रमशिला में शिक्षक स्वतंत्र रूप से काम करते थे, अपनी पाठशाला चलाते थे और गुरुदक्षिणा की स्वीकारोक्ति पर आधारित व्यवस्था थी, जो अक्सर प्रतीकात्मक होती थी। इससे स्पष्ट होता है कि शिक्षा का उद्देश्य केवल प्रमाण-पत्र नहीं, बल्कि ज्ञान का अंतरण और समाजनिर्माण था।

गुरुकुल और गुरुशिष्य प्रणाली में शिक्षा केवल तकनीकी या अकादमिक नहीं, बल्कि जीवन के विभिन्न आयामों-संस्कार, आत्मअनुशासन, आध्यात्मिकता, नैतिकता को समाहित करती थी। यह शिक्षा आत्मनियंत्रण और चरित्र निर्माण पर केंद्रित थी।

संस्कृति के संरक्षण, संवर्धन में गुरु मुख्य भूमिका में रहे है। वेद, उपनिषद, दर्शन, धार्मिक कर्मकांड, जीवनशैली का आदान-प्रदान इत्यादि अनेक दृष्टांत है जिसके द्वारा भारतीय संस्कृति और मूल्यों को जीवंत और प्रासंगिक बनाए रखने में शिक्षक अग्रणी रहे है। इसके साथ ही यह जानना भी आवश्यक हो जाता है कि सनातन व्यवस्था में स्त्री शिक्षा पर भी उतना ही बल दिया गया जितना पुरुष शिक्षा पर। इसके अंतर्गत वैदिक कालीन विदुषीया दृष्टांत रूप में प्रस्तुत की जा सकती है। गार्गी, मैत्रेयी, लोपामुद्रा, विश्ववारा, अपाला जैसी विदुषीया वैदिक ऋचाओं की सृजक व आध्यात्मिक चेतना पर संवाद स्थापित करने वाली रही। मध्यकालीन भारत में विदेशी आक्रमणकारियों के कारण स्त्री शिक्षा में गिरावट अवश्य आयी, किंतु मीराबाई, संत अक्का देवी, सहजोबाई जैसी सांस्कृतिक शिक्षिकाएं हुई जिन्होंने समाज को भक्ति व आत्मानुशासन दिया। पुनर्जागरण काल में सावित्री बाईपहले, रमा बाई, जैसी शिक्षिकाओं ने नारी पुनर्चेतना में अभूतपूर्व योगदान दिया।

आधुनिक समय में परंपरागत गुरुकुल मॉडल का पुनरुद्धार हो रहा है- जैसे नागपुर में श्री वेदविद्यावर्धिनी गुरुकुलम्, जहाँ वेद, संस्कृत, धर्मशास्त्र, योगध्यान और आचार संस्कार पढ़ाए जाते हैं, और शिक्षा गैरवाणिज्यिक दृष्टिकोण पर आधारित है। गुरुकुलों का पुनरुत्थान गहन आंतरिक विकास की दिशा में एक सांस्कृतिक पहल है, जो व्यावसायिकता से अलग सांस्कृतिक पुनर्चेतना व गौरवशाली इतिहास की पुनर्स्थापना का माध्यम है।

वर्तमान संदर्भ के अंतर्गत भारत में शिक्षक दिवस प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को मनाया जाता है-जो डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् की जयंती है। डॉ. राधाकृष्णन् स्वयं एक शिक्षाविद, दार्शनिक और विद्वान थे। वे भारतीय ज्ञान परम्परा व दर्शन के संवाहक थे। जब डॉ. राधाकृष्णन से उनके विद्यार्थियों ने उनके जन्मदिवस की धूमधाम से मनाने का आग्रह किया तो नैतिकता से परिपूर्ण सरल व सहजस्वभाव के धनी डॉ. साहब ने कहा कि यह दिवस पूरे देश के शिक्षकों के सम्मान में मनाया जाना चाहिए।

गुरुकुलों का पुनरुत्थान, और गुरुशिष्य संबंध का मौलिक स्वरूप आज की शिक्षा को वैल्यू आधारित दृष्टिकोण से समृद्ध बनाता है। शिक्षक केवल ज्ञान का संचरण नहीं करते, बल्कि संस्कृति, संवेदना, और मूल्य उत्थान का सुअवसर प्रदान करते है। शिक्षक दिवस हमें याद दिलाता है कि शिक्षा सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि देश और समाज के नैतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक युग्म का आधार है।

यह दिन हमें शिक्षकों के प्रति कृतज्ञता और सम्मान व्यक्त करने की प्रेरणा देता है। आज की भौतिकवादी प्रवृत्ति व पाश्चात्य शिक्षा के प्रभुत्व के दौर में एक शिक्षक का दायित्व और अधिक बढ़ जाता है। अब शिक्षक एक विषय विशेषज्ञ ही नहीं अपितु कुशल मार्गदर्शक, नेतृत्वकर्ता और सुसंस्कृत व नैतिक मूल्यों की स्थापना करने वाले की भूमिका में है। बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य, व्यक्तित्व निर्माण व मूल्य आधारित दृष्टिकोण विकसित करने में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। ऑनलाइन शिक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व डिजिटल युग में जहां मशीनी प्रवृत्ति का विकास हुआ है, वही एक शिक्षक की भूमिका भी बहुआयामी व चुनौतीपूर्ण हो जाती है कि किस प्रकार वह मूल्य आधारित शिक्षा की स्थापना कर मार्गदर्शक व प्रेरणास्त्रोत के रूप में प्रकाश पुंज की तरह विद्यार्थियों के समस्त मानसिक, सांस्कृतिक विकारों को दूर कर एक सुशिक्षित, सुसंस्कृत व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास करे ताकि भारत की आने वाली पीढ़ी अपने सामाजिक- सांस्कृतिक- आध्यात्मिक मूल्यों को अंगीकृत व आत्मार्पित कर सके।

निष्कर्षतः गुरु-परंपरागत भारतीय शिक्षा प्रणाली के नायक और संस्कृति के संरक्षक रहे हैं। गुरुकुल शिक्षा में ज्ञान और आत्मविकास का समन्वय था; आधुनिक शिक्षा में शिक्षक न केवल अकादमिक ज्ञान देते हैं, बल्कि वे नैतिक, सांस्कृतिक और भावनात्मक विकास के मार्गदर्शक भी हैं। 5 सितंबर, शिक्षक दिवस के रूप में, हमें यह स्मरण कराता है कि हमारे समाज की नींव और संस्कृति की समृद्धि में शिक्षक कितना अहम योगदान देते आए हैं। इस सम्मानपूर्ण प्रक्रिया को बनाए रखना और भविष्य में शिक्षकों को सम्मान और प्रेरणा का स्त्रोत बनाना, यही हमारे लिए सर्वोपरि कर्तव्य है। यह दिवस मात्र शिक्षकों को धन्यवाद देने के रूप में ही नहीं वरन् गुरु- शिष्य के आत्मिक बंधन को सुदृढ़ करने का दिन भी है दिन भी है। साथ ही यह संकल्प लेने का दिन भी है कि यदि राष्ट्र को समृद्ध, सशक्त बनाना है तो शिक्षकों के सम्मान के साथ उनके नैतिक दृष्टिकोण को भी अपनाना है।

-वासुदेव देवनानी,
विधानसभा अध्यक्ष,
राजस्थान

"शिक्षक दिवस" पर एक बेबाक विश्लेषण

राजेन्द्र भाणावत

इस आलेख का प्रारंभ मैं उस घटना से करना चाहता हूं जो मुझे मेरे पिताजी ने साठ के दशक में सुनाई थी जब मैं 15 साल का था। यह बता दूं कि मेरे पिता उदयपुर के महाराणा भोपाल कॉलेज, जो उसे समय इंटर कॉलेज हुआ करता था, में गणित विषय के विख्यात शिक्षक थे। एक बार उन्हें किसी परिचित के साथ तत्कालीन मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया के उदयपुर स्थित आवास पर जाने का अवसर मिला। जैसे ही पिताजी ने अपना परिचय सुखाड़िया जी को देना प्रारंभ किया तो उन्होंने तत्काल खड़े होकर न केवल उनका अभिवादन किया अपितु यह कहा कि-"मैं तो आपको अच्छी तरह से जानता हूं"। इस प्रकार के सम्मान की कल्पना क्या आज कोई शिक्षक कर सकता है?

मुझे याद है जब पिता जी की आयु लगभग 80 वर्ष की हुई तब उनके शिष्य जो लगभग 70-75 वर्ष के रहे होंगे, वे जब उनसे मिलने आते थे, तो उनके चरण स्पर्श कर आदर व्यक्त करते थे। इस प्रकार का रिश्ता शिक्षक और शिक्षार्थी में हुआ करता था, जिसे देखने का सौभाग्य मुझे मिला। शायद इसी भावना से वे सभी लोग सहमत होंगे जिन्होंने 1950 से 1970 के बीच विद्यालय में अध्ययन किया था।

आज जब हम शिक्षक दिवस मना रहे हैं तो हमें इस बात पर विचार करना चाहिए कि शिक्षकों की स्थिति समाज में अब वैसी क्यों नहीं है? क्यों आज समाज में शिक्षकों की वह प्रतिष्ठा नहीं रही एवं क्यों सर्वाधिक प्रतिभाशाली विद्यार्थी शिक्षक नहीं बनना चाहते?

सरकार यह कह सकती है कि वह प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस पर शिक्षकों को सम्मानित करती है। किंतु यह एक सच्चाई है कि शिक्षकों के ऊपर स्थानांतरण की तलवार सदैव लटकाकर रखी जाती है। उनके साथ किस प्रकार का अपमानजनक और उपेक्षा पूर्ण व्यवहार शिक्षा प्रशासक और मंत्री गण करते हैं, यह सर्व विदित है। शिक्षकों का अधिकांश समय केवल आंकड़े भरने में और वह सब करने में बीतता है जो शिक्षा से कतई संबंधित नहीं है। शिक्षा विभाग में स्थानांतरण को तो तबादला उद्योग तक कहा जाता है।

सामान्यतः समाज, शिक्षक और शिक्षार्थी का संबंध जीवन पर्यन्त होता है। यह तभी संभव है जब शिक्षक निरंतर एक ही स्थान पर रहे। तब लगातार जुड़ रहे और उसका और विद्यार्थियों का भविष्य भी जुड़ा रहेगा।

शिक्षा समाज की आवश्यकताओं से कितनी दूर हो गई है, यह समझने के लिए मुझे उदयपुर विद्या भवन के बुनियादी शिक्षा के प्रसिद्ध शिक्षक दयालचंद जी सोनी का स्मरण हो रहा है। दयाल जी 'माड़साब' की शिक्षा की दृष्टि सर्वांगीण विकास की थी और उनकी जीवन दृष्टि गांधी और विनोबा से प्रेरित थी। उनके अनुसार मैकाले की शिक्षा पद्धित का एक ही उद्देश्य था- शोषित, वंचित तथा शासित वर्ग से निकल कर शासक, संपन्न एंड शासक वर्ग में सम्मिलित होना। इसे उन्होंने 'वर्गोदय' शिक्षा का नाम दिया जबकि आवश्यकता सर्वोदयी शिक्षा की थी। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि शिक्षा कैसी और क्या हो यह समाज के साथ संवाद पर आधारित होनी चाहिए। उन्होंने अपनी बात एक शिक्षार्थी के मुंह से लंबी कविता के रूप में कहलाई थी। यही मेवाड़ी में है जिसका शीर्षक था है "म्हूं अणभणियो शिक्षित हूं", जिसका अर्थ है "मैं बिना पढ़ा-लिखा शिक्षित हूं"। शिक्षा के मूल मर्म को समझने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को यह पुस्तिका अवश्य पढ़नी चाहिए। इस कविता के भाव को आज यहां पाठकों के साथ साझा करने का मन कर रहा है। दयाल जी ने यह स्पष्ट किया कि स्कूल जाना और शिक्षा प्राप्त करना एक समान नहीं है। उन्होंने इस कविता में यह चिंता व्यक्त की कि यदि अंग्रेजों के द्वारा दी गई शिक्षा व्यवस्था इसी प्रकार हमने जारी रखी और स्कूलों को ही शिक्षा का पर्याय मान लिया तो देश में देश की प्रगति संभव नहीं है। उनके अनुसार हम बच्चों को केवल 'स्कूलित' कर रहे हैं न कि शिक्षित। जब तक शिक्षा मानव के लिए बहुत आवश्यक गुण जैसे सदाचार, सहकार, संवेदनशीलता, आदि के गुण विद्यार्थियों में विकसित नहीं कर सके तो उसे शिक्षा नहीं कहा जा सकता। दयाल जी उन 18 ग्रामीण शिक्षा विदों में शामिल थे जिन्हें 1954 में डेनमार्क की शिक्षा व्यवस्था का अध्ययन करने हेतु भेजा गया था। आज आवश्यकता है उनके विचारों पर संवाद करने की और उन्हें हमारी शिक्षा व्यवस्था में स्थान देने की, ताकि हमारी शिक्षा समाज और देश के लिए अधिक उपयोगी नागरिक तैयार कर सके।

उनका यह भी मानना था कि शिक्षा विद्यालय के बाहर भी होती है घर में भी होती है और वातावरण से भी वह ग्रहण करता है। शिक्षक का कार्य विद्यार्थी को ऐसा वातावरण उपलब्ध कराना होना चाहिए जिसमें वह जिज्ञासु बन सके और अपनी जिज्ञासाओं का उत्तर ढूंढने के लिए खोजी प्रवृत्ति उसमें विकसित हो। क्या हम इस प्रकार का शिक्षक आज तैयार कर रहे हैं? खेद का विषय है कि ऐसा नहीं हो रहा है। अधिकांश शिक्षक आज विद्यार्थियों को केवल कुंजियों या पासबुक के माध्यम से कुछ उत्तर रटकर परीक्षा में उत्तीर्ण होने के नुस्खे बताने तक सीमित रह गए हैं। जब विद्यार्थी केवल गुटके या पासबुक पढ़कर परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे तो वह किस प्रकार के युवा बनाकर के निकालेंगे, इसका नमूना हम देख ही रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे उचित - अनुचित तरीकों से परीक्षा पास करना ही उनका एकमात्र उद्देश्य रह गया है चाहे वह स्कूल, कॉलेज की परीक्षा हो या फिर कोई प्रतियोगी परीक्षा।

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षकों की भूमिका को अच्छी तरह रेखांकित किया गया है, किंतु उसके लिए आवश्यक है कि सरकार संसाधनों की कमी का बहाना छोड़कर नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए पर्याप्त मानव और वित्तीय एवं मानव संसाधन उपलब्ध कराए। शिक्षा को समुदाय केंद्रित बनाएं। जब तक समाज और शिक्षा एक दूसरे से जुड़े नहीं रहेंगे तब तक 'ड्रॉप आउट' की समस्या बनी रहेगी।

बाल श्रमिकों के लिए अनौपचारिक शिक्षा की जो व्यवस्था थी, उसे बहुत पहले ही बंद कर दिया गया है। इसका कारण यह बताया गया कि "जो विद्यार्थी स्कूल में नहीं है वह बाल श्रमिक है"। इसका परिणाम यह हुआ की छात्रा प्रतिशत बच्चों का नामांकन विद्यालय में कर दिया गया यह ध्यान नहीं रखा गया कि केवल नामांकन करने से बच्चे शिक्षित नहीं होते। बाल श्रम आज भी देश की वास्तविकता है। अनौपचारिक शिक्षा को बेहतर करने के स्थान पर इसे बंद करके हमने एक बहुत बड़े निर्णतम वर्ग को शिक्षा से ही वंचित कर दिया है। इसका परिणाम यह हुआ कि बाल श्रमिकों के लिए शिक्षा का एक वैकल्पिक साधन उपलब्ध था वह भी समाप्त हो गया है।इस प्रकार एक बाल श्रमिकों की फौज बड़ी होकर निरक्षर ही रहेगी।

यदि हम शिक्षकों का वही पुराना सम्मान लौटना चाहते हैं हमें आज शिक्षक दिवस के अवसर पर यह संकल्प लेना होगा कि हम शिक्षा को तंत्र से मुक्त करें। शिक्षक अपने विद्यार्थियों के साथ अधिक से अधिक समय बिताएं और तबादले की तलवार से मुक्त रहें। उन्हें अनावश्यक रूप से शिक्षा अधिकारियों और मंत्रियों के दरवाजों पर चक्कर लगाने हेतु बाध्य न होना पड़े। इसके लिए शिक्षक प्रशिक्षण व्यवस्था में भी आमूल चूल परिवर्तन की आवश्यकता है।

आइए हम सब शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षा की मूल धारणा पर गंभीरता से चिंतन करें और यह विचार करें कि कैसे शिक्षकों की खोई हुई गरिमा को पुनः लौटाया जाए। इस दिशा में सरकार, समाज और शिक्षक, सबको मिल बैठ कर मंथन करना होगा। तब ही शिक्षा वास्तव में सामाजिक बदलाव का माध्यम बन पाएगी।

शिक्षक दिवस पर राज्य के सभी शिक्षकों को मेरी ओर से शत-शत नमन एवं अभिनंदन!

-राजेन्द्र भाणावत,
(पूर्व आई.ए.एस. अधिकारी)

राशिफल शुक्रवार 5 सितम्बर, 2025

पंडित अनिल शर्मा

भाद्रपद मास, शुक्ल पक्ष, त्रयोदशी तिथि, शुक्रवार, विक्रम संवत 2082, श्रवण नक्षत्र रात्रि 11:38 तक, शोभन योग दिन 1:53 तक, कौलव करण दिन 3:41 तक, चन्द्रमा आज मकर राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थितिः सूर्य-सिंह, चन्द्रमा-मकर, मंगल-कन्या, बुध-सिंह, गुरू-मिथुन, शुक्र-कर्क, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह राशि में।

आज सर्वार्थसिद्धि योग सूर्योदय से रात्रि 11:38 तक है। रवियोग रात्रि 11:38 से आरम्भ होगा। आज प्रदोष व्रत, गोत्रि रात्रि व्रत आरम्भ होगा। आज डा.राधाकृष्ण जयन्ती, शिक्षक दिवस है। आज ईद-ए-मिलाद (बारावफात) है।

श्रेष्ठ चौघड़ियाः चर सूर्योदय से 7:47 तक, लाभ-अमृत 7:45 से 10:52 तक, शुभ 12:26 से 1:59 तक, चर 5:06 से सूर्यास्त तक।

राहूकालः 10:30 से 12:00 तक। सूर्योदय 6:12, सूर्यास्त 6:40

मेष
व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। नवीन कार्य योजना का क्रियान्वयन हो सकता है। घर-परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेगी।

**वृष